

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :- प. 14/44/रामले/परिपत्र/

11 615-11 673

दिनांक :- 10-9-14

1. जिला कलेक्टर(राजस्व लेखा)
समस्त, राजस्थान।
2. निरीक्षक राजस्व लेखा
संभागीय आयुक्त कार्यालय
समस्त राजस्थान
3. निरीक्षक राजस्व लेखा
आंतरिक लेखा जांच दल(आय)
जिला कलेक्ट्रेट -----

L

विषय :- अधिसूचना।

प्रसंग:- राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर का पत्रांक प.6 (12)राज-6/99 पार्ट/ 8 दि0 30.7.14
तथा प.6 (28) रेव-6/2014/9 दि0 4.8.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय,



(भागीरथ सोनी)
लेखाधिकारी (आय)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर शाखा) राजस्व मण्डल अजमेर को वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित है।

11

(भागीरथ सोनी)
लेखाधिकारी (आय)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(12)राज-6/99 पार्ट / 8

जयपुर दिनांक 30-7-2014

—:अधिसूचना:—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प0 6(12) राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005, समय-समय पर यथा संशोधित, को अतिष्ठित (Supersede) करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि अनाधिमुक्त सरकारी भूमि:—

(क) विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उपकेन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जोधपुर तथा इनकी सहायक कम्पनियों को और जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 से डिपोजिट वर्क के आधार पर सरकारी नहर परियोजनाओं हेतु विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उप केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए,

(ख) कार्यालय, बस अड्डा, डिपो और कार्यशाला के सन्निर्माण के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को,

(ग) राजस्थान राज्य भण्डारण निगम, राजस्थान सहकारी दुग्ध उद्योग परिसंघ को:—

निम्न लिखित निबन्धन ओर शर्तों पर आवंटित की जा सकेगी:—

निबन्धन ओर शर्तें:—

1. भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर दी जावेगी, जो 99 वर्ष की और कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी।
2. ऊपर लिखित विभाग/निगम/संस्था को आवंटित भूमियों के संबंध में प्रीमियम की दर कलेक्टर द्वारा निर्धारित पडोस की उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों को आवंटन के समय विद्यमान कीमतों के समान होगी किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों को इस हेतु देय राशि, राज्य

सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेंसन) में से समायोजित की जायेगी।

परन्तु यह कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए अनाधिवासित सरकारी भूमि की प्रीमियम की दर कलक्टर द्वारा निर्धारित पडोस की उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों को आवंटन के समय विद्यमान कीमतों के एक चौथाई होगी।

परन्तु यह और कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि भूमि पर निर्मित गोदाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तो आवंटन के समय की प्रचलित दर से कीमत ली जावेगी।

परन्तु यह भी कि पात्र ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अनाधिवासित सरकारी भूमि का 1500 वर्गमीटर तक निःशुल्क आवंटन किया जावेगा।

3. उर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2002 के अनुसार, दिनांक 18.01.2002 से पूर्व की, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत निगम लि० जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध भूमि कीमत इत्यादि की बकाया राशि वसूल योग्य नहीं होगी। राजस्व लेखों में कायम ऐसी मांग को नियमानुसार राजस्व लेखों से कम किया जावेगा। परन्तु यदि पहले से ही ऐसी कोई राशि वसूल कर ली गई है तो उसका प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जायेगा। दिनांक 18.01.2002 के बाद की विद्युत निगमों के विरुद्ध बकाया राशि विद्युत निगमों से वसूली योग्य है जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेंशन) के रूप में समायोजित की जावेगी।
4. किराया या नगरीय निर्धारण, शर्त सं० 2 में उल्लेखित राशि का 10 प्रतिशत होगा, जो दस रुपये के निकटतम पूर्णांकित किया जायेगा।
5. इस प्रकार आवंटित भूमि, सिवाय उस प्रयोजन के जिसके लिये इसे आवंटित किया गया है, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसका विक्रय नहीं किया जायेगा। परन्तु इस अधिसूचना के अधीन 02.08.1984 से 24.09.1994 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किये गये भूमि

आवंटन की दशा में प्रीमियम, पट्टा किराया या शोध्द नगरीय निर्धारण, यदि कोई हो, वसूल नहीं किया जायेगा, किन्तु पहले से ही वसूल कर ली गई ऐसी किसी रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया/राजस्व मंत्री ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व /शासन सचिव राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान ।
5. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
6. प्रमुख शासन, उर्जा विभाग।
7. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम जयपुर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक राज्य केन्द्री मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 30/7/2014 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
- ✓ 11. उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

श्री अग्रवाल

14-8-14

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR.6) DEPARTMENT**

No. F.6(28)Rev.6/2014/9

Jaipur , Dated: 4/8/2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 100 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources) Rules, 2007, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources)(Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 2.- In sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources) Rules, 2007, hereinafter referred as the said rules,-

(i) the existing clause (b) shall be substituted by the following , namely:-

"(b) "Developer" means a person who develops, and/or maintains Wind Farms, Wind Power Plant, Solar Parks and Solar Power Plant and also creates and/or maintains common infrastructure facilities for above units;"

(ii) after the existing clause (jj) and before the existing clause (k), the following new clause (jjj) shall be inserted, namely.-

"(jjj) "Solar park" means a group of solar plants/ solar power plants/ solar PV power plants/solar thermal power plants/solar farms in the same location used for production of electric power;"

3. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely;

"(2) Annual rent shall be charged at the rate of 5% per annum of the premium as specified in sub-rule (3) for 2 years from the date of allotment which shall be enhanced thereafter for every year at the rate of 5% per annum of the previous year."

(ii) in sub-rule (3), for the existing expression "10% of ", wherever occurring, the expression "equal to" shall be substituted.

4. **Insertion of rule 12A.-** After the existing rule 12 and before the existing rule 13 of the said rules, the following new rule 12A shall be inserted, namely:-

"12A. Allotment of Land to the R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited.- Land may be allotted to the R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited for setting up and developing Solar Park, on the following terms and conditions, namely:-

- (i) The land shall be allotted on lease hold basis for a period of 99 years;
- (ii) The premium to be charged for the allotment of government land for setting up and developing Solar Park shall be equivalent to 25% of the DLC of the same class of agricultural land in the vicinity and shall be determined accordingly;
- (iii) Lease rent shall be payable at the rate of Rs. 1/- per acre per annum;
- (iv) The R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited, may sub-lease the leased land or part thereof for setting up and developing Solar Park for solar plant/ solar power plant / solar PV power plant/solar thermal power plant/solar farm purposes;
- (v) The R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited, may levy and recover such lease rent and other charges as may determined by it, in respect of the lands sub-leased by it;
- (vi) The periods of the sub-leases shall be determined by the R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited, but such period shall not exceed 30 years, in all, in any case.
- (vii) The Land shall revert to the Government free of all encumbrances and without payment of any compensation, in case the R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited or any of it's sub-lessees, use it for any purpose other than solar plant/solar power plant/ solar PV power plant/solar thermal power plant, including essential welfare and supporting services or commit breach of any other condition of the lease or sub-leases; and
- (viii) The sub-lessees of the R.R.E.C. or Rajasthan Solar Park Development Company Limited shall continue to be governed by all other terms and conditions prescribed in these rules and any other analogous rules that may be promulgated or orders that may be issued, in this behalf by the State Government."

By order of the Governor,


(Anil Kumar Agrawal)

Joint Secretary to Government

Copy:- Copy forward to the following for information and necessary action:-

1- Secy. to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.

AO-E
20/8/14

- 2- Dy. Secy. (BC) to Hon'ble CM (Revenue Minister), Rajasthan, Jaipur.
- 3- D.S. to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
- 4- P.S. to Principal Secretary, Revenue Department, Jaipur.
- 5- P.S. to Principal Secretary, Energy Department, Jaipur.
- 6- Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
- 7- All Divisional Commissioners, Rajasthan
- 8- All Collectors, Rajasthan
- 9- Deputy Accountant General, SRA, Rajasthan, Jaipur.
- 10- Registrar, Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.
- 11 Director, Printing & Stationery department for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette dated4/08/2014..... along with additional copies.
- 12- Managing Director, R.R.E.C., Jaipur
- 13- Director, Public Relation, Rajasthan, Jaipur.
- 14- "RAVIRA" Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.
- ✓ 15- Dy. Registrar (F&A), Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.
- 16- Director, Information & Technology (Computer), Jaipur.
- 17- Joint Registrar, Library Judges, Supreme Court, New Delhi.
- 18- All Dy. Secretaries, Department of Revenue.
- 19- Deputy Secretary, Revenue (Gr.1) Department for uploading on website.
- 20- Guard file.



Joint Secretary to Government

AR(F&A)

14/8/14

SA 313/14

①

RA 1127
20/8/14

1073
19/8/14